सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 चैत्र, 1941 (श०)

संख्या- 300 राँची, बुधवार, 3 अप्रैल, 2019 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

08 मार्च, 2019

विषय:- झारखण्ड राज्य के अन्त्योदय अन्न योजना एवं पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवारों को "चना वितरण योजना" के अन्तर्गत प्रतिमाह एक किलोग्राम चना (Whole) का वितरण रूपये 15.00 प्रति किलोग्राम के केन्द्रीय अनुदान के साथ करने की स्वीकृति तथा पूर्व में चीनी वितरण योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा आवंटित राशि से झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड में सृजित रिवॉल्विंग फण्ड की राशि से रू 71,06,53,059 (रूपये एकहत्तर करोड़ छः लाख तिरपन हजार उनसठ) मात्र स्थानांतरित करने व वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु रूपये 150 करोड़ की राशि के बजटीय उपबंध की राशि के व्यय (जो कि लाभुकों से प्रतिपूरित होने पर रिवॉल्विंग फण्ड के रूप में गठित हो जायेगा) की स्वीकृति।

संख्या - 06/प्रा॰ मॉ॰(दाल)-01/2018 खा॰आ॰ - 808,-- कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार के पत्रांक L-15016/97/2018-MPS, दिनांक 24.10.2018 के द्वारा सूचित किया गया है कि मूल्य समर्थन योजना के तहत न्यूनत्तम समर्थन मूल्य पर क्रय किये गये दाल के स्टॉक से राज्य के लाभुक परिवारों के बीच जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से रियायती दर पर इसका वितरण किया जा सकता है। इसमें उल्लेखित है कि-"The State will be offered raw Pulses from the stock available under PSS/PSF generally on 'First In-First Out' (FIFO) basis at Issue

Price minus the Central Subsidy of Rs. 15 per Kg on "First Come-First Serve". साथ ही यह भी उल्लेखित है कि - "The indenting States will send their request to the DAC&FW, indicating the variety, quantity, period of lifting, confirmation of the purchase at issue price. Thereafter, the Department will confirm the allocation with detail of locations from where the stocks are to be lifted on as is where is basis. The indenting States/UT Governments or their implementing Agencies may inspect the stock before making advance payments. However, no cancellation of the indent will be accepted, once the supply against the indent is confirmed".

2. इस योजनान्तर्गत प्रति किलोग्राम वाँछित दाल संबंधित प्राप्ति स्थल के थोक मूल्य से राज्य को रूपये 15.00 की कम दर पर प्राप्त होगी। इस थोक मूल्य में प्राप्ति स्थल के राज्य, दाल व माह के अनुसार परिवर्तन की संभावना रहेगी।

3. इस योजना का मुख्य उद्देश्य कमजोर वर्ग को अनुदानित दर पर दाल वितरित कर पोषक तत्व उपलब्ध कराना है। इसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार के पास 34.88 लाख मे॰ टन दाल (अरहर, मूँग, उरद, चना एवं मसूर) उपलब्ध है।

4. National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED) को केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को मूल्य समर्थन योजना के तहत न्यूनत्तम समर्थन मूल्य पर क्रय किये गये दाल के स्टॉक से अनमिल्ड दाल उपलब्ध कराने के लिए नोडल एजेन्सी नामित किया गया है। इसके उपरान्त राज्य सरकार को संबंधित मिल से दाल का परिवहन, अपग्रेडेशन, वितरण आदि अपने स्तर से कराना है।

5. भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नाफेड) के पत्रांक HO/IS/Jharkhand/21/18-19, दिनांक 14.12.2018 द्वारा दाल वितरण योजना हेतु संबंधित मिल से दाल का परिवहन, अपग्रेडेशन आदि के संबंध में अनुमानित व्यय विवरणी उपलब्ध करायी गयी है। इसके अनुसार केन्द्र सरकार को होनेवाले भुगतान के अतिरिक्त अपग्रेडेशन, पैकेजिंग, प्रखण्ड के गोदामों तक परिवहन आदि पर व्यय 980.09 रूपये प्रति क्विंटल संभावित होगा।

6. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड के द्वारा ‘‘चना वितरण योजना’’ प्रारम्भ करते हुए राज्य के सभी पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार एवं अन्त्योदय परिवारों को जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से प्रतिमाह एक किलोग्राम चना (Whole) का वितरण केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान (थोक मूल्य से रूपये 15.00/- प्रति किलोग्राम की कम दर) के साथ करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार कुल 56,99,816 परिवारों हेतु कुल 5699.82 मे॰ टन चना (Whole) की मासिक आवश्यकता होगी। लाभुक परिवारों की यह संख्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित परिवारों की संख्या के आधार पर परिवर्तित होती रहेगी।

7. चना वितरण योजनान्तर्गत प्रति किलोग्राम चना पर जन वितरण प्रणाली दुकानों का कमीशन रूपये 1.00 एवं डोर स्टेप डिलिवरी का कमीशन रूपये 0.40 होगा। साथ ही चना (Whole) के लिए झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को इसके गोदामों के उपयोग आदि हेतु प्रति किलोग्राम रूपये 0.25 संचलन अनुदान के रूप में दिया जायेगा। केन्द्र सरकार/नाफेड से आवंटित दर एवं अन्य व्यय को आकलित करते हुए खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले

विभाग, झारखण्ड द्वारा यथासमय वास्तविक लाभुक मूल्य का निर्धारण किया जायेगा जो कि नजदीकी पूर्ण मुद्रा में होगा। चना (Whole) के क्रय, अपग्रेडेशन, परिवहन, वितरण आदि पर हुये सभी व्यय का वहन लाभुकों द्वारा किया जायेगा। इस योजना में राज्य सरकार द्वारा कोई भी वितीय भार वहन नही किया जायेगा।

8. प्रथम माह के आवंटन के लिए जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को बिना किसी ड्राफ्ट/राशि के चना (Whole) का आवंटन दिया जायेगा। जन वितरण प्रणाली विक्रेता संबंधित माह के लिए चना का शतप्रतिशत वितरण सुनिश्चित करते हुए लाभुकों से प्राप्त राशि में से अपना कमीशन (एक रूपये प्रति किलोग्राम) की कटौती करते हुए अवशेष राशि को ड्राफ्ट/अन्य के द्वारा चना प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से संबंधित जिला में प्रतिपूरित करेंगे। जिला द्वारा इस राशि में से डोर स्टेप डिलिवरी मद में हुये व्यय की कटौती कर अवशेष राशि झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, झारखण्ड को उपलब्ध करा दी जायेगी। यह प्रक्रिया इस योजना के दौरान अनवरत चलती रहेगी।

9. कृषि उत्पादन बाजार समिति, राँची से दिनांक 19.12.2018 को प्राप्त दर तालिका में चना का खुदरा मूल्य रूपये 60.00 प्रति किलोग्राम संसूचित किया गया है जबकि इस योजना के तहत नाफेड द्वारा उपलब्ध करायी गयी विवरणी के अनुसार लाभुक मूल्य रूपये 41.56 प्रति किलोग्राम पड़ रहा है। वास्तविक वितरण मूल्य का निर्धारण वास्तविक लागत के आधार पर नजदीकी पूर्ण मुद्रा में यथा समय खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड द्वारा किया जाता रहेगा। इस प्रकार राज्य सरकार पर बिना कोई अतिरिक्त भार के भी ‘‘चना वितरण योजना’’ आम जनता के लिए लाभकारी प्रतीत हो रहा है।

10. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-253, दिनांक 27.01.2016 की कंडिका-2. में अंकित है कि झारखण्ड सरकार के सभी विभागों द्वारा किसी भी तरह के क्रय-विक्रय के मूल्य अन्वेषण संबंधी कार्यों में NeML के ई-प्लेटफॉर्म की सेवाएँ प्राप्त की जायेंगी। इसी की उप कंडिका (क) में उल्लेखित है कि "Reverse E-Auction Platform के माध्यम से राज्य के विभिन्न प्राकृतिक/कृषि आधारित उत्पादों जैसे फोर्टिफाईड नमक, चीनी, वनस्पति तेल एवं अन्य उत्पाद समूहों के खरीद हेतु खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के पी॰डी॰एस॰ सिस्टम, मानव संसाधन विकास विभाग के मध्याह्न भोजन योजना एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के ICDS योजना तहत लाभ प्राप्त किया जायेगा। इस प्लेटफॉर्म के उपयोग से MSP पर खाद्यान्नों की खरीद हेतु पैकेजिंग बैग को भी अतिरिक्त रूप से सम्मिलित किया जायेगा।’’ इसी संकल्प की कंडिका-3 में उल्लेखित है कि "NeML के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले e-Auction एवं Forward e-Auction सेवाओं के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जायेगा। मात्र तृतीय पक्ष से (खरीददार/बिक्रेता) अधिकतम 0.5 प्रतिशत तक शुल्क NeML द्वारा लिया जायेगा। झारखण्ड राज्य के लिए NeML द्वारा सेवाओं के उपयोग हेतु सदस्यता शुल्क भी नहीं लिया जायेगा।" खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड द्वारा विभागीय संकल्पों के आलोक में NeML के E-Platform पर रिवर्स ऑक्शन के माध्यम से नमक एवं चीनी का क्रय किया जा रहा है।

11. चना वितरण योजना हेतु केन्द्र सरकार/नाफेड द्वारा आवंटित स्थल से अपग्रेडेशन के लिये परिवहन, अपग्रेडशन व झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची के प्रखण्ड स्तरीय गोदामों तक परिवहन के लिये खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग अथवा झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के आदेश पर NeML अर्थात् NCDEX e-Markets limited, 1st Floor, Akruit Corporate Park, L.B.S. Marg, Kanjur Marg (w), Mumbai- 400078 के ऑनलाइन पोर्टल पर रिवर्स ऑक्शन के माध्यम से एजेंसी का चयन किया जायेगा।

12. इस योजना के प्रारम्भ होने के प्रथम कुछ महीनों के लिए राज्य सरकार से राशि की आवश्यकता पडेगी जिसकी प्रतिपूर्ति लाभुकों से राशि प्राप्त होने के पश्चात् रिवॉल्विंग फण्ड के रूप में सृजित हो जायेगी। यह आवश्यक राशि लगभग 56,99,816 परिवार × 01 किलोग्राम × 41.56 रूपये = 23,68,84,353 (रूपये तेईस करोड़ अडसठ लाख चैरासी हजार तीन सौ तिरपन) मात्र प्रतिमाह की दर से संभावित है।

13. "चना वितरण योजना" हेतु कुल रू॰ 23,68,84,353 × 3 = 71,06,53,059 (रूपये एकहत्तर करोड़ छः लाख तिरपन हजार उनसठ) मात्र की राशि, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, झारखण्ड में चीनी वितरण योजना हेतु पूर्व से सृजित रिवाॅल्विंड फण्ड की राशि से चना वितरण योजना हेतु स्थानांतरित कर दी जायेगी। इस राशि से केन्द्र सरकार से क्रय किये गये चना पर होने वाले संभावित व्यय की (आवश्यक हो तो) अग्रिम प्रतिपूर्ति तथा अन्य कार्यों हेतु NeML द्वारा रिवर्स ऑक्शन के उपरान्त चयनित एजेन्सी को इस मद में राशि का भुगतान झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, झारखण्ड द्वारा किया जायेगा। रिवॉल्विंग फण्ड से इसी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

14. "चना वितरण योजना" हेतु झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची में एक नया बैंक खाता खोलकर उपर्युक्त राशि को बैंक खाता के माध्यम से स्थानांतरित कर दिया जायेगा। इस खाता की राशि परिक्रामी निधि (रिवॉल्विंग फण्ड) के रूप में कार्य करेगी। लाभुकों से प्राप्त होने वाली राशि इसी खाता में संधारित होगी जो कि रिवॉल्विंग फण्ड के रूप में परिणत होती जायेगी।

15. वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु "चना वितरण योजना" के लिए कुल 150 करोड़ की राशि का उपबंध बजट में किया गया है। बजटीय आवंटन की राशि से चना वितरण योजना के लिए खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड द्वारा केन्द्र सरकार को अग्रिम एवं चयनित एजेन्सी को भुगतान किया जायेगा।

16. इस योजना के प्रचार-प्रसार हेतु अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। इस हेतु कौशल विकास के प्रचार-प्रसार मद में आवंटित राशि से व्यय किया जायेगा।

17. चना वितरण योजना के लिए नये बजट शीर्ष-3456-सिविल पूर्ति-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना/102-सिविल पूर्ति योजना/789-अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-61-चना वितरण योजना-विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-52-सब्सिडी (18S345600-796/102/789-610652) का गठन किया गया है। चना वितरण योजना में बजटीय राशि निकासी हेतु विभागीय सचिव नियंत्री पदाधिकारी तथा अवर सचिव निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

18. उक्त से संबंधित विभागीय संलेख संख्या-754, दिनांक 05.03.2019 पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 06.03.2019 की बैठक के मद संख्या-01 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमिताभ कौशल,
सरकार के सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 300 -- 50